न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०–एम०पी० 62/2018 धारा–145 द०प्र०सं०

विशेश्वर सिंह मुण्डा.....प्रथम पक्ष

बनाम

सीता प्रसाद महतो वगैरह .....द्वितीय पक्ष

	आदेश
22/09/2020	प्रस्तुत वाद आवेदक के द्वारा आवेदन दिया गया है कि विवादित जमीन को लेकर उभय पक्ष में दखल–कब्जा को लेकर शांति भंग होने की संभांवना को देखते हुए विवादित भूमि पर द० प्र० सं० की धारा–145 के तहत द्वितीय पक्षों के विरूद्व कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु अनुरोध किया गया। उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। विवादित भूमि विवरणी मौजा–गलऊ, थाना–सोनाहातु , खाता सं० प्लॉट सं० रकवा चौहदी 162 1676 41 डी० उ0–रामेश्वर मंडल की जमीन द0–रघुनाथ सिंह की भूमि पू0–रघुनाथ सिंह की भूमि प0–रघुनाथ सिंह की भूमि 1677 1.39 ए० उ0–रामेश्वर मंडल की जमीन द0–रघुनाथ सिंह की भूमि पू0–रघुनाथ सिंह की भूमि प0–रघुनाथ सिंह की भूमि 171 1674 81 डी० उ0–रामेश्वर मंडल की जमीन द0–रघुनाथ सिंह की भूमि पू0–रघुनाथ सिंह की भूमि प0–रघुनाथ सिंह की भूमि वाद में द्वितीय पक्ष उपस्थित हुए, परन्तु अपना पक्ष रखने हेतु अनेकावार मौका दिया गया, परन्तु द्वितीय पक्ष के द्वारा अपना पक्ष दाखिल नहीं किया गया। प्रथम पक्ष प्रथम पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपने आवेदन में निम्न उल्लेख किये है:– 1. यह है कि वर्णित भूमि खाता संख्या–162 एवं 171 आर. एस. सर्वे खतियान में सोमा मुखियार वल्द गुलु मुखियार कौम–मुखियार, साकिन देह खेंवट संख्या–3 गोपाल सिंह मुण्डा दर्ज है। 2. यह है कि खाता संख्या 162 एवं 171 खतियानी रैयत की नावल्द मृत होने के वजह से खेंवट संख्या–3 के मालिक गोपाल सिंह ने उक्त खाता को खास कर लिया एवं दखलकार हुए। 3. यह है कि विवादित जमीन को खेंवट संख्या–3 गोपाल सिंह के पुत्र घनश्याम सिंह मुण्डा ने सन् 06/01/1985 ई० को हमेशा–हमेशा के लिए प्रथम पक्ष को सादा बिकी केवाला कर दिया। प्रथम पक्ष धनेश्वर सिंह के वंशज है।

22/09/2020

4. यह है कि द्वितीय पक्ष अपना दावा रजिष्ट्री पट्टा के द्वारा किया है, जो छो0 का0 अधि0 की धारा–46 उपधारा 1 (बी) का उल्लघंन है। द्वितीय पक्ष का रजिस्ट्री पट्टा अवैद्य है।

5. यह है कि खाता संख्या 162 एवं 171 सोमा मुखियसर के नाम से दर्ज है। जो कि अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आता है। इस खाता की जमीन की बिकी छो0 का0 अधि0 की धारा–46 के तहत अनुमति के बाद ही जमीन की खरीद बिकी किया जा सकता है। परन्तु द्वितीय पक्ष के द्वारा बिना अनुमति के ही निबंधित केवाला पट्टा कराया है, जो अवैद्य है। विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष का किसी प्रकार का दावा नहीं बनता है। उन्होने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–145 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करते हुए द्वितीय पक्ष को विवादित जमीन पर जाने से रोक लगाते हुए प्रथम पक्ष के हित में दखल–कब्जा घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

आदेश

प्रथम पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता के एकपक्षीय बहस को सुनने, पुलिस प्रतिवेदन एवं प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल किये गये कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विवादित जमीन को प्रथम पक्ष सादा पट्टा के आधार पर दावा कर रहे है एवं द्वितीय पक्ष को रजिस्ट्री पट्टा से प्राप्त किये है, बताया गया है। विवाद स्वत्व को लेकर प्रतीत होता है। द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की दखल भूमि पर व्यवधान उत्पन्न न करे। वाद में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–145 के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उभय पक्ष स्वत्व हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है। इसी निरूपण के साथ अभिलेख की कार्यवाही को बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

22/9/20

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू(राँची)

22/9/20

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू(राँची)